दैनिक भास्कर
31-Jan-2019
पटना Page 13

हॉर्न के खिलाफ चलेगा जागरुकता अभियान-जरा सोचें

परिवहन विभाग लोगों को बताएगा हॉर्न का नुकसान, इससे हो सकता है तनाव और सुनने की समस्या

सिटी रिपोर्टर | पटना

परिवहन विभाग राज्य में हॉर्न बजाने को लेकर जागरुकता फैलाने की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहा है। विभाग लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगा कि हॉर्न के इस्तेमाल से बचें। हॉर्न से होने वाले नुकसानों को बताया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके बिना भी आप गाड़ी चला सकते हैं। लोगों के बीच कई सवाल उठाए जाएंगे। सवाल होंगे कि क्या हॉर्न बजाने से ट्रैफिक जाम हट जाएगा? क्या बिना हॉर्न बजाए आप गाड़ी नहीं चला सकते? जरा सोचें क्या बिना हॉर्न बजाए आप गाड़ी नहीं चला सकते? ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न क्यों?

सोमवार से शुरू होने वाले इस अभियान में लोगों को बताया जाएगा कि आपके बेवजह हॉर्न से कई लोग मानसिक तनाव और सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं। अभियान के तहत ड्राइवरों के बिहेवियर बदलने पर विभाग की विशेष नजर रहेगी। विभाग की पहल पर हर वाहन के पीछे नो हॉर्न का स्टीकर लगाया जाएगा। इतना ही नहीं वाहनों में मल्टी टोन हॉर्न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों की जांच भी बड़े स्तर पर की जाएगी।

जांच में जब्त किया जाएगा मल्टी टोन हॉर्न

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सोमवार से अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान लगातार चलेगा। अभियान के दौरान वाहनों की जांच होगी और वाहन चालकों से बेवजह हॉर्न न बजाने की अपील भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण में प्रेशर हॉर्न भी एक मुख्य कारण है। अक्सर लोग बिना किसी कारण के प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते हैं। इससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलता है, बल्कि लोग कान से संबंधित विभिन्न तरह की समस्याओं से ग्रसित होने लगते हैं। रेड लाइट पर होने के बाद भी लोग लगातार प्रेशर हॉर्न बजाते हैं। ऐसा किया जाना ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन है। परिवहन सचिव ने कहा कि जिन वाहनों में मल्टी टोन हॉर्न लगे हैं उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहनों से प्रेशर हॉर्न को जब्त किया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।